रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267729
CG-DL-E-17112025-267729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947
No. 762]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 848(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक, उप वित्तीय सलाहकार, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव, उप निदेशक, ज्येष्ठ विश्लेषक, प्रधान निजी सचिव, कार्यपालक अभियंता (सिविल), सुरक्षा अधिकारी और ज्येष्ठ भंडार अधिकारी के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप सचिव, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव, अवर सचिव, प्रधान निजी सचिव, कार्यपालक अभियंता (सिविल), सुरक्षा अधिकारी और ज्येष्ठ भंडार अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना.** – ये नियम इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और** उनके **वेतन मैट्रिक्स में** उनके **स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।**

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और** उनसे **संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।**

5. **निरर्हता.-** वह **व्यक्ति,–**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, **विवाह किया है या** विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने **पति या** ***अपनी*** **पत्नी के जीवित** रहते हुए **किसी व्यक्ति** से **विवाह किया है या** विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का **पात्र** नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान **हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के** अन्य **पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु**ज्ञेय **है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो** वह **किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।**

6. **शिथिल करने की शक्ति. – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह** उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, **आदेश** द्वारा **शिथिल कर सकेगी।**

7. **व्यावृत्ति. – इन नियमों की कोई बात**, ऐसे आरक्षण, **आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों** पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में **समय-समय पर जारी** किए गए **आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष** प्रवर्ग **के व्यक्तियों के लिए** उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अ**चयन** पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप सचिव।	06* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) ।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा **की** अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की** पद्धति: भर्ती **सी**धे होगी या प्रोन्नति द्वारा **या प्रतिनियुक्ति**/आमेलन **द्वारा** तथा **विभिन्न** पद्धतियों द्वारा **भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत**ता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में** किन परिस्थितियों में **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श** किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: अवर सचिव, जिन्होंने **वेतन मैट्रिक्स में** स्तर**-11 (67700-208700 रुपये)** में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** ***जहां*** ऐसे ***कनिष्ठ*** व्यक्तियों के संबंध में, ***जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,*** प्रोन्नति ***के लिए विचार***	**विभागीय** प्रोन्नति **समिति (**प्रोन्नति **पर विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे: **-** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

किया जा रहा हो, वहां ***उनके*** ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी ***विचार किया जाएगा*** परंतु यह तब जब ***कि*** उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के ***आधे से अधिक*** से ***या दो वर्ष*** से, इनमें से ***जो भी कम हो,*** कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या ***पात्रता सेवा*** पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ***अपनी परिवीक्षा*** की ***अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो***। **टिप्पण 2:** पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही रहेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ **प्रधान निजी सचिव**।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: **प्रधान निजी सचिव,** जिन्होंने **वेतन मैट्रिक्स में** स्तर-**11 (67700-208700 रुपये)** में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण** 1: ***जहां*** ऐसे ***कनिष्ठ*** व्यक्तियों के संबंध में, ***जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,*** प्रोन्नति ***के लिए विचार किया जा रहा*** हो, वहां ***उनके*** ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी ***विचार किया जाएगा*** परंतु यह तब जब ***कि*** उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के ***आधे से अधिक*** से ***या दो वर्ष*** से, इनमें से ***जो भी कम हो,*** कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या ***पात्रता सेवा*** पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ***अपनी परिवीक्षा*** की ***अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो***।	**विभागीय** प्रोन्नति **समिति (**प्रोन्नति **पर विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे**: -** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2: पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही रहेगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्रीय **सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के** ऐसे **अधिकारी, -** **(क) (i)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो**; या** (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स **में** स्तर**-11** (67700-208700 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और **(ख)** जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- **(i) अंग्रेजी में आशुलिपि में प्रति मिनट सौ शब्द की गति; और** **(ii) अंग्रेजी में आशुलिपि का पांच वर्ष का अनुभव।** टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग **के** ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. अवर सचिव।	18* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** ***जहां*** ऐसे ***कनिष्ठ*** व्यक्तियों के संबंध में, ***जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,*** प्रोन्नति ***के लिए विचार किया जा रहा*** हो, वहां ***उनके*** ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी ***विचार किया जाएगा*** परंतु यह तब जब ***कि*** उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के ***आधे से अधिक*** से ***या दो वर्ष*** से, इनमें से ***जो भी कम हो,*** कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या ***पात्रता सेवा*** पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ***अपनी परिवीक्षा*** की ***अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो***। **टिप्पण 2:** पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही रहेगी।	**विभागीय** प्रोन्नति **समिति** (प्रोन्नति **पर विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन के निदेशक या समतुल्य - सदस्य। **विभागीय** पुष्टि **समिति (पुष्टि** के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे: - 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. प्रधान निजी सचिव।	15* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: निजी सचिव, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय	**विभागीय** प्रोन्नति **समिति** (प्रोन्नति **पर विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे: - 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

पर यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** ***जहां*** ऐसे ***कनिष्ठ*** व्यक्तियों के संबंध में, ***जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,*** प्रोन्नति ***के लिए विचार किया जा रहा*** हो, वहां ***उनके*** ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी ***विचार किया जाएगा*** परंतु यह तब जब ***कि*** उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के ***आधे से अधिक*** से ***या दो वर्ष*** से, इनमें से ***जो भी कम हो,*** कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या ***पात्रता सेवा*** पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ***अपनी परिवीक्षा*** की ***अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो***। **टिप्पण 2:** पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही रहेगी।	2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि** के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे: **-** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य**।**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. कार्यपालक **अभियंता (सिविल)**।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति **(अल्पकालिक** संविदा **सहित)** / प्रोन्नति द्वारा; या (ii) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा **(अल्पकालिक** संविदा **सहित) /** प्रोन्नति: केंद्रीय **सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र** प्रशासन **के** ऐसे **अधिकारी, -** (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि** के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे: **-** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

नियुक्ति के पश्चात नौ वर्ष की सेवा की हो; या (iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात बारह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; और (ii) आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें डिजाइनिंग, प्राक्कलन, संविदा, पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में विभागीय सहायक अभियंता (सिविल) को, जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन पद पर नियुक्ति के लिए किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्तो के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं, उन पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों		

को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. **सुरक्षा अधिकारी**।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित); या (ii) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, - **(क)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए **हों; या** **(ख)** जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- **(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ।** (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो; या	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि** के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे**: -** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात नौ वर्ष की सेवा की हो; और (vi) सुरक्षा पर्यवेक्षण का तीन वर्ष का अनुभव; (vii) अग्निशमन कौशल में प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाले आवेदक को अधिमानता: दी जाएगी। **टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित) **की अवधि, जिसके अंतर्गत** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्तो के लिए विहित अनुभव और आर्हताएं हैं, उन पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. ज्येष्ठ भंडार अधिकारी।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित,अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा;

				या (ii) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, **-** **(क) (i)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए **हों; या** (ii) जिन्होंने काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर भंडार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात नौ वर्ष की सेवा की हो**;** और **(ख)** जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- **(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ।** (ii) भंडार को संम्भालने, लेखा और भंडार पुस्तको को बनाये रखने में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में विभागीय भंडार अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, को बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन पद पर नियुक्ति के लिए किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित) **की अवधि, जिसके अंतर्गत** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि** के संबंध में **विचार करने के लिए) जिसमें** निम्नलिखित होंगे**: -** 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से निदेशक या समतुल्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्तो के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं, उन पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

[फा. सं. 01(03)/2025-कार्मिक-III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025.

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009 in so far as they relate to the posts of Joint Director, Deputy Financial Advisor, Senior Principal Private Secretary, Deputy Director, Senior Analyst, Principal Private Secretary, Executive Engineer (Civil), Security Officer and Senior Stores Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Secretary, Senior Principal Private Secretary, Under Secretary, Principal Private Secretary, Executive Engineer (Civil), Security Officer and Senior Stores Officer in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Non-Scientific and Technical (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. –** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. –in columns (2) to (4) of the said Schedule. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.** –The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, **–**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Secretary.	06* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Under Secretary in **level-11 in the pay matrix** (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technolo - Member; 3. Joint Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Principal Private Secretary.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Selection.

(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion or by deputation (including short-term-contract).

(11)	(12)	(13)
By promotion: **Principal Private Secretary** in **level-11 in the pay matrix** (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of the revised rules. By deputation (including short-term-contract): **Officers** of the Central Government or State Government or Union territory administration, - (a) (i) holding analogues post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post as Principal Private Secretary on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Joint Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

(b) possessing the following educational qualfications and experience, namely:- (i) a speed of hundred words per minute in stenography in English; and (ii) five years experience of stenography in English. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.Under Secretary	18* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Section Officer in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Principal Private Secretary.	15* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Private Secretary in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Executive Engineer (Civil).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation **(including short-term contract)**/ promotion; or (ii) Re-employment for Armed Forces Personnel.

(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract)/promotion: **Officers of the Central Govern-ment or State Governments or Union territory Administration,-** (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with nine years service rendered after appointment to the post as Assistant Engineer (Civil) on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) Junior Engineer (Civil) with twelve years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400); and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor's degree in civil engineering from a recognised University or institute; and (ii) minimum three years experience in construction and maintenance of residential and non-residential buildings including designing, estimating, contracts, supervision, etc. **Note 1:** The **departmental** Assistant Engineer (Civil) **in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)** with nine years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the **departmental** candidate is selected for appointment to the post,	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. By re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualification and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Security Officer.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	(i) By deputation (including short-term contract); or (ii) Re-employment for Armed Forces Personnel.

(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - **(a)** (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : -** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute. **(ii)** with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or **(iii)** with seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) **with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in** level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with nine years service **rendered after appointment to the post on a regular basis** in level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (vi) three years experience of supervising security; (vii) Preference will be given to the applicant having training or experience in the fire-fighting skill. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. By re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from		

the Armed Forces and thereafter, they may be considered on re-employment terms.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Senior Stores Officer.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) By deputation (including short-term contract)/ promotion; or (ii) Re-employment for Armed Forces Personnel.

(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - **(a) (i)** holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with nine years service rendered after appointment to the post as Store Officer on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and **(b)** possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having three years experience in handling Stores, maintaining Accounts and Store Books. **Note 1:** The **departmental** Stores Officer **in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)** with nine years regular service in the grade and having educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the **departmental** candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract)	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Director or equivalent from Ministry or Department or Organisation other than Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. By re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be considered on re-employment terms.		

[F. No. 01(03)/2025-Pers.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.17 21:30:53 +05'30'